न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु॰ नं॰ 3/14 तारीख रजू 29.4.14

उनवान - रामभरोसी वगैरह बनाम रामविलास वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जाप्ता दीवानी

प्रार्थी की ओर श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 9 नियम 4 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो कर अप्रार्थीगणों को सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 27.5.14 को पेश हो। 969-86 / 29.4.14

हस्ताक्षर
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

27/5/14 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. ने मीमो पेश किया। शेष अप्रार्थीगण 6 लगायत 16 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वास्ते पेश करने वकालतनामा एवं जवाब प्रति॰ नं. 1 ता 5 दिनांक 2.7.14 को पेश हो। हस्ताक्षर

2/7/14 वकलाय उप॰। अप्रार्थी नं. 1 ता 5 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश करने समय चाहा। वास्ते जवाब दिनांक 30.7.14 को पेश हो। हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दिनांक	
19.4.17	वकलाय उपस्थित / प्रार्थना पत्र 09 R.4 CPC पर बहस सुनी गई / प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का दावा दि. 2.6.2004 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया। पहले यह दावा न्याया. SDO हिण्डौन में चलता था / बाद में खोला. पर इस न्याया. में दर्ज हुआ / दौराने दावा वादी एवं बाद में प्रार्थी रामभरोती का भी निधन हो गया उसके कानूनी वारिस पक्षकार बने हैं इस. लीया फ़ाईल आवर दावा पुनः नम्बर पर लिया जावे। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि मूल दावा वर्ष 2004 में अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है लगभग 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और तथ्य परिवर्तित हो चुके हैं इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त यह द. वर्ष 2014 में पेश की गई है जो उचित नहीं है खारिज किये जाने योग्य है / वादी नया दावा पेश कर सकता है। वकील उभय पक्ष की बहस का मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया / मूल दावा ~~वर्ष~~ दिनांक 2.6.2004 को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है 10 वर्ष पश्चात प्रा. 09 R.4 जाब्ता दीवानी पेश की है इस प्रकार प्रा. स्वीकार किये जाने के योग्य प्रतीत नहीं होती इसलिए प्रा. 09 R.4 CPC खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि. 19.4.17 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर,
टोडाभीम (करौली)